बिहार विधान परिषद

(197वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

24 मार्च, 2021

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

Total Short Notice Question- 9

सड़क का पुनर्निर्माण

*130 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

Will the **नगर विकास एवं आवास** be pleased to state:-
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर बस स्टैंड से अनुमंडल अस्पताल, दानापुर तक की सड़क लगभग जर्जर अवस्था में है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सार्वजनिक हित में क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अनुग्रह राशि कबतक

*172 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

Will the **आपदा प्रबंधन** be pleased to state:-
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जिआउल हक, पिता- शमीउद्दीन अंसारी, ग्राम- गोडि◌यारी सकरी खुर्द थाना परासी जिला अरवल के निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जिआउल हक की पत्नी नरगिस खातून का दिनांक- 09.08.19 को भोजपुर जिला के सहार थाना के गुलजार के समीप सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, सहार थाना में 208/13 दिनांक- 19.08.19 को FIR भी दर्ज है;

(ग) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी सहार, अनुमंडल पदाधिकारी पीरो जिला भोजपुर के पास अनुग्रह राशि के लिए इनका आवेदन सारे कागजात के साथ जमा है, लेकिन अभी तक मृतक के परिवार को अनुग्रह नहीं दिया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मृतक परिवार को कबतक चार लाख रुपये अनुग्रह राशि उपलब्ध कराना चाहती है?

प्रशासनिक स्वीकृति सह आवंटन

***173 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

Will the **नगर विकास एवं आवास** be pleased to state:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नगर परिषद् दानापुर निजामत अन्तर्गत वार्ड सं.- 33 में अवस्थित बिस्कुट फैक्ट्री नासरीगंज मोड़ से एम्स एलिवेटेड रोड (दीघा नहर रोड) के पाया सं.- 242 तक अबतक पक्की सड़क एवं नाला का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पक्की सड़क एवं नाली नहीं रहने के कारण उस क्षेत्र की घनी आबादी यथा सैनिकपुरी कॉलोनी, तक्षशिला कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, मौर्य विहार कॉलोनी, नासरीगंज के निवासियों निवासी के साथ-साथ अनेकों अपार्टमेंट यथा श्री निवास इन्क्लेव, कुंजबिहार, विंसम एम्पायर एवं आस-पास के इलाके की आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रबंध निदेशक, बुडको पटना के द्वारा सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को पी.सी.सी. पथ एवं आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति सह आवंटन उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक- Budco/156/2020-759, दिनांक- 29.01.2020 द्वारा पत्र भेजा गया है, परंतु आज तक उस पत्र के आलोक में कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सड़क एवं नाला निर्माण को यथाशीघ्र आरंभ करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति सह आवंटन कबतक उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अनुदान की राशि

***174 श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **आपदा प्रबंधन** be pleased to state:-
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 में मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखण्ड अंतर्गत बाढ़ पीडि़तों के लिए खाद्यान्न एवं नगद अनुदान (GR) 2017 के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में (GR) सूची के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की घोषणा की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के बावजूद विभिन्न अंचल कार्यालयों द्वारा बाढ़ पीडि़त 2019 लाभुकों के खाता में नेफ्ट (NEFT) के माध्यम से उक्त अनुदान की राशि को आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया;

(ग) क्या यह सही है कि प्रखण्ड में से बेनीपट्टी अंचल पंचायत बररी, ग्राम- धनुषी, वार्ड सं.- 13 एवं अन्य वार्डो में प्रभावित बाढ़ पीडि़तों को (GR) अनुदान राशि नहीं दी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिला अंतर्गत बाढ़ पीडि़तों की लंबित अनुदान की राशि उनके खाते में उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

***175 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

Will the **नगर विकास एवं आवास** be pleased to state:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड- 25 के अन्तर्गत तरकरिया बाजार-चौघराना रोड में वर्ष 1939 से स्थापित एवं संचालित 'लक्ष्मी नारायण धर्मशाला' है, जो सार्वजनिक है और वहां आये दिन मांगलिक कार्य होते रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि लक्ष्मी नारायण धर्मशाला के बाहर दरवाजा के सटे एक पुरानी एवं जर्जर कार रखकर सड़क एवं रास्ते का अतिक्रमण किया हुआ है, साथ ही वहीं कूड़ादान रखे जाने से वातावरण दूषित एवं गंदा हो रहा है, धर्मशाला के बाहर नाला एवं सड़क की सफाई भी नहीं हो पा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सार्वजनिक हित में सरकार लक्ष्मी नारायण धर्मशाला के पास किये गये अतिक्रमण को हटाते हुए, वहां नियमित साफ-सफाई किये जाने का निदेश देना चाहती है?

नाम दर्ज कबतक

***176** **श्रीमती मनोरमा देवी (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

Will the **राजस्व एवं भूमि सुधार** be pleased to state:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिलान्तर्गत जमुई अंचल मौजा- विठलपुर के जमाबंदी संख्या- 34140, खाता संख्या- 31, खेसरा- 390 में कुल 2.45 एकड़ जमीन जमुना सिंह के नाम से दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त खाता-खेसरा में से 1.56 एकड़ जमीन जमुना सिंह के द्वारा अन्य व्यक्तियों को बेच दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार 89 डि. जमीन जमुना प्र. सिंह के आश्रित के कब्जे में है, लेकिन रजिस्टर टू (II) में 89 डि. जमीन अबतक अंकित नहीं किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि समाहरणालय, जमुई (राजस्व शाखा) के पत्रांक- 268/ रा., दिनांक- 10.03.2006 को समाहर्ता, जमुई द्वारा जमाबंदी 34/40 में 89 डि. जमीन को सुधार कर उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र प्रेषित किया गया उसके बाद भी रजिस्टर टू (II) में अबतक नाम दर्ज नहीं किया गया है तथा रजिस्टर टू में नाम दर्ज करने हेतु अनेकों बार अंचलाधिकारी एवं उच्चाधिकारी से अनुरोध किया गया है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व. जमुना प्र. सिंह के आश्रित के नाम 89 डिसमिल जमीन रजिस्टर टू (II) में यथाशीघ्र दर्ज कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नियोजन का आदेश

***177** **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

Will the **सूचना प्रौद्योगिकी** be pleased to state:-
क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के पत्रांक- 313, दिनांक- 18.02.2021 द्वारा संविदा आधारित आई.टी. मैनपावर, प्रोग्रामर, डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं अन्य कर्मियों को नियोजित करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने का निदेश दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पत्रांक- 313, दिनांक- 18.02.2021 में स्वीकार किया गया है कि संविदा आधारित आई.टी. मैनपावर, प्रोग्रामर, डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं अन्य कर्मियों को नियोजित करने का बेल्ट्रॉन का स्वतंत्र व्यवसाय है;

(ग) क्या यह सही है कि बेल्ट्रॉन जैसे व्यवसायी से संविदा आधारित नियोजन

कराना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, जिससे भोले-भाले, गरीब, बेरोजगार नौजवान शोषण-दोहन के शिकार होंगे और गुणवत्ता भी प्रभावित होगी;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार ने ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन बनाया, जिससे कुशल, दक्ष और योग्य संविदाकर्मी नियोजित किये जा रहे थे, जिन्हें रोककर आउटसोर्सिंग एजेंसी बेल्ट्रॉन से नियोजन कराने का प्रयास भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेल्ट्रॉन जैसे व्यावसायिक संस्था से नियोजन के आदेश को रद्द कराना चाहती है एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से संविदा आधारित बंद नियोजन को कबतक प्रारंभ कराना चाहती है?

कॉलोनी का निर्माण

*178 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

Will the **नगर विकास एवं आवास** be pleased to state:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर के सुलतानगंज थानान्तर्गत डॉ. अम्बेडकर कॉलोनी काफी जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जर्जर कॉलोनी को ध्वस्त कर नई कॉलोनी का निर्माण करने हेतु विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय आदेश संख्या- सं.स.-10न.वि./परि.- 01/2017-25 न.वि. एवं आ.वि., दिनांक- 07.03.2017 के द्वारा अभियंता संवर्ग की तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जांच प्रतिवेदन के आधार पर क्या कार्रवाई की गई, यदि कार्रवाई की गई है तो उक्त कॉलोनी के निवासियों को नई कॉलोनी निर्मित कर आवंटित की जायेगी, यदि हां तो कबतक?

पथ को अतिक्रमण मुक्त

*179 **श्री हरिनारायण चौधरी (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **नगर विकास एवं आवास** be pleased to state:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत नगर परिषद् के राजेन्द्र पथ टुनटुनिया गुमटी से मालगोदाम चौक तक रोड को अतिक्रमण कर घर एवं दुकान बना

लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ के अतिक्रमण के कारण पथ काफी संकरा हो गया है, जिससे आवागमन एवं जाम की गंभीर समस्या बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिक्रमित भवन एवं दुकान को तोड़कर उक्त पथ को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है?